

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015
(दूरभाष नं०:- 0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल:- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक : एफ.4(ई)(ए-2023)/अलेसे-III/ 2314

दिनांक :- 27.3.2026

कार्यालय आदेश

निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकार को उनके आवेदन के अनुसरण में निम्न परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क. सं.	रोल नं.	नाम कनिष्ठ लेखाकार (श्री/श्रीमती/सुश्री)	नाम परीक्षा	आयोजक संस्था	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय
1	2	3	4	5	6
1	733243	अक्षय टेपन	यू.जी.सी. नेट दिसम्बर 2025 (इतिहास)	एन.टी.ए.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्मार्ट सिटी लिमिटेड, जयपुर।

उक्त स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 18.11.2006 में वर्णित निम्न शर्तों के अधधीन होगी :-

- 1 परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 2 उक्त स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और इस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- 3 उक्त स्वीकृति के कारण राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
- 4 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 5 प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।

यह निदेशक महोदया से अनुमोदित है।

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)
दिनांक :- 27.3.2026

क्रमांक : एफ.4(ई)(ए-2023)/अलेसे-III/ 2314

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्मार्ट सिटी लिमिटेड, जयपुर।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदया।
3. अक्षय टेपन, कनिष्ठ लेखाकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्मार्ट सिटी लिमिटेड, जयपुर।

संयुक्त निदेशक (आईटी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

Digitally signed by Seema Kaushal
Designation: Joint Director
Date: 2026.03.27 12:22:35 IST
Reason: Approval

RajKaj Ref No.:
21252350
eSign 1.0

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)

